सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No.SRM/16/2017/STGRJ/DELAAL/RU-II Dated 06/04/2018

To

1. The District Collector,
   District-Jhunjhunu,
   Rajasthan.
2. The Superintendent of Police,
   District-Jhunjhunu,
   Rajasthan.

Sub:- Representation dated 13/11/2017 received from Shri Sultan Ram Meena S/o Late Shri Ruda Ram Meena, Village & Post-Birole, via-Jhanjhar, District-Zhunzhunu, Rajasthan regarding removal of encroachment in plinth and deletion of fencing.

****

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the minutes of the proceeding held in the National Commission for Scheduled Tribes on 22/03/2018, on the above mentioned subject for necessary action. Action Taken Report in this regard may be submitted to the Commission at the earliest possible.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encls. As above.

(S.P. Meena)
Assistant Director
Tele No.24657271

Copy to:-

i) Shri Sultan Ram Meena S/o Late Shri Ruda Ram Meena,
Village & Post-Birole, via-Jhanjhar,
District-Zhunzhunu, Rajasthan

Copy for information to:-

i) PS to Vice-Chairperson, NCST.
ii) NIC (for hosting on Commission's website)

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SRM/16/2017/STGRJ/DELAAL/RU-II)

श्री सुल्तान राम मीणा, ग्राम+पोस्ट- बिरोल, वाया- झाझड़, जिला- झुंझूनु, राजस्थान के द्वारा लगाए वृक्ष और चबूतरे पर अतिक्रमण और तारबंदी के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22.03.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 22.03.2018

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री सुल्तान राम मीणा, ग्राम+पोस्ट- बिरोल, वाया- झाझड़, जिला- झुंझूनु, राजस्थान ने गैरकानूनी तरीके से उनके द्वारा लगाए वृक्ष और चबूतरे पर अतिक्रमण और तारबंदी करने के मामले मे दिनांक 13.11.2017 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।
2. अभ्यावेदक के मामले में विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 22.11.2017 को एक नोटिस भेजकर जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। निर्धारित समय सीमा मे जवाब प्राप्त नही होने पर आयोग द्वारा दिनांक 13.12.2017 को संस्मरण भेजकर पुनः 7 दिन के अंदर जवाब की अपेक्षा की गई।
3. आयोग के नोटिस के प्रत्युत्तर मे जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान से जवाब प्राप्त नही होने पर अभ्यावेदक ने आयोग से पुनः न्याय का निवेदन किया। अभ्यावेदक के निवेदन पर आयोग ने दिनांक 19.12.2017 को एक सीटिंग नोटिस भेजकर जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान को दिनांक 26.12.2017 को आयोग मे चर्चा के लिए बुलाया।

4. सीटिंग नोटिस के प्रत्युत्तर मे जिला कलेक्टर, झुंझूनु राजस्थान का दिनांक 21.12.2017 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ। पत्र मे जिला कलेक्टर, झुंझूनु, राजस्थान ने आयोग को अवगत कराया कि अभ्यावेदक श्री सुल्तान राम मीणा के परिवाद के संबंध मे अतिक्रमण हटाने बाबत वास्तविक वस्तु स्थिति की जांच कराने पर मौके पर पाया गया कि ग्राम वासियों द्वारा जन सहयोग से ग्राम बिरोल के ख. न. 443 रकबा 54.32 है। यह चारागाह किस्म गै. मु. जोहड़ जमीन है इसमे फलदार और छायादार वृक्ष लगभग 2 वर्ष पूर्व लगाए गए थे। उक्त बगीचे को आवारा पशुओं से रक्षा के लिए बगीचे की तारबंदी की गई है। बगीचे मे लगाए पेड़ों के विकसित होने पर उक्त तारबंदी हटा दी जाएगी। अभ्यावेदक द्वारा लगाए पेड़ मे एक बरगद का पेड़, दो नीम एवं दो पीपल के पेड़ भी इस बगीचे मे अवस्थित है। यदि उन पेड़ों को तारबंदी से अलग किया जाता है तो ग्राम वासियों द्वारा हरियाली बढ़ाने के लिए किए गए सराहनीय कृत्य को नुकसान हो सकता है। साथ ही मौके पर किसी व्यक्ति तथा भू माफ़ियों का कोई अतिक्रमण नही है। पत्र मे जिला कलेक्टर, झुंझूनु राजस्थान ने सूचित किया है कि आयोग द्वारा निर्धारित सीटिंग मे वे उपस्थित होने मे असमर्थ हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा जिले की यात्रा दिनांक 27.12.2017 से प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति मे कानून व्यवस्था की दृष्टि से उनका जिले मे रहना आवश्यक है। पत्र मे उन्होने अनुरोध किया है कि निर्धारित सीटिंग मे उनकी व्यक्तिश: उपस्थिति से मुक्त किया जाय। अभ्यावेदक को इस पत्र की सूचना दी गई।

5. जिला कलेक्टर, झुंझूनु राजस्थान के पत्र पर विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 26.12.2017 को निर्धारित सीटिंग को निरस्त करते हुये दिनांक 26.12.2017 को एक नोटिस द्वारा अभ्यावेदक सहित जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान को सूचित किया।

6. सीटिंग नोटिस के प्रत्युत्तर मे पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान का दिनांक 06.01.2018 को प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ जिसमे उन्होने अभ्यावेदक के मामले मे जांच विवरण प्रस्तुत किया। पत्र मे उल्लेख किया गया कि ग्राम वासियों द्वारा

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusulya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जन सहयोग से ग्राम बिरोल के ख. न. 443 रकबा 54.32 है। यह चारागाह किस्म गै. मु. जोहड़ जमीन है इसमे फलदार और छायादार वृक्ष लगभग 2 वर्ष पूर्व लगाए गए थे। उक्त बगीचे को आवारा पशुओं से रक्षा के लिए बगीचे की तारबंदी की गई है। उक्त तारबंदी के संबंध मे ग्रामवासियों तथा सरपंच एवं समस्त पंचायत बिरोल का कथन है कि पेड़ों बड़े होने पर उक्त तारबंदी हटा दी जाएगी। वर्णित स्थान मे किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण रूपी अतिक्रमण नही है। पत्र मे आगे उल्लेख किया गया है कि करीब 3 वर्ष पूर्व निकूदास महाराज द्वारा समाधि लेने पर उनकी यादगार के लिए ये पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों की देखभाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसमे कोई रोकटोक नही है। उक्त तारबंदी के अंदर ही काफी वर्षों से दो पेड़ पीपल व उसी के साथ एक नीम का पेड़ लगा हुआ है जो बगीचे के अंदर है। यदि उन्हे बाहर निकाला जाता है तो ग्राम वासियों के हरियाली बढ़ाने व वृक्षारोपण के लिए किए गए सराहनीय कृत्य को नुकसान पहुँच सकता है। अभ्यावेदक द्वारा वर्णित उक्त बगीचा किसी व्यक्ति विशेष का नही होकर आमजन सहयोग से तैयार किया जा रहा है। समस्त ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य सामने आया है कि अभ्यावेदक श्री सुल्तान राम मीणा के कुल पाँच लड़के हैं जिनमे से तीन दिल्ली पुलिस मे सर्विस करते हैं, एक आर्मी से कैप्टन के पद पर पदास्थापित होना बताया व एक पुत्र बाहर कमाने खाने के लिए आता जाता रहता है। जांच करने पर पाया गया कि जन सहयोग से लगाए गए पेड़ों की देखभाल करने वाले आम जन मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग भी शामिल हैं।

7. अभ्यावेदक श्री सुल्तान राम मीणा दिनांक 26.12.2017 को आयोग मे उपस्थित होकर एक रिज्वाइंडर प्रस्तुत किया और जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान के जवाब से असंतुष्टि जाहिर की तथा मामले मे न्याय दिलाने का अनुरोध किया। अभ्यावेदक के अनुरोध पर माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा एक अर्धशासकीय पत्र जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान को दिनांक 01.01.2018 को प्रेषित करते हुये इस मामले मे कार्यवाही के लिए कहा गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8. मामले मे कोई कार्यवाही नही होने के कारण अभ्यावेदक ने पुनः आयोग से न्याय दिलाने का निवेदन किया, जिस पर विचार करते हुये आयोग ने दिनांक 25.01.2018 को एक सीटिंग नोटिस भेजकर दिनांक 05.02.2018 को जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान को आयोग मे बैठक के लिए बुलाया गया। परंतु आयोग के कुछ आवश्यक कार्यक्रम बनने के कारण इस बैठक को निरस्त कर पुनः दिनांक 08.03.2018 को एक सीटिंग नोटिस भेजकर दिनांक 22.03.2018 को जिला कलेक्टर, झुंझूनु और पुलिस अधीक्षक, झुंझूनु, राजस्थान को आयोग मे बैठक के लिए बुलाया गया।

9. आयोग में चर्चा के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदया की पूर्व अनुमति से जिला कलेक्टर के स्थान पर उप खंड अधिकारी, नवलगढ़, झुंझूनु तथा उप पुलिस अधीक्षक, नवलगढ़, झुंझूनु उपस्थित हुए.

10. आयोग ने अभ्यावेदक को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा। अभ्यावेदक ने आयोग को अवगत कराया कि उनके द्वारा लगाए पेड़ और चबूतरे को भी बगीचे के नाम पर अतिक्रमण करते हुये तारबंदी कर ली गई है। उनकी इतनी मांग है कि चबूतरे के पीछे से तारबंदी कर ली जाय और राह चलने वालों के बैठने तथा विश्राम करने के लिए चबूतरे को जो सड़क के एक दम किनारे है खाली रखा जाय।

11. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस विषय में जानना चाहा। उप खंड अधिकारी ने आयोग को अवगत कराया कि उक्त जमीन जिसका रकबा करीब 54 एकड़ है चारागाह भूमि है और गै. मु. किस्म की है। उक्त बगीचे को आवारा पशुओं से रक्षा के लिए बगीचे की तारबंदी की गई है। गाँव वालों और सरपंच के अनुसार बगीचे मे लगाए पेड़ों के विकसित होने पर उक्त तारबंदी हटा दी जाएगी। अभ्यावेदक द्वारा लगाए पेड़ मे एक बरगद का पेड़, दो नीम एवं दो पीपल के पेड़ भी इस बगीचे मे अवस्थित है। यदि उन पेड़ों को तारबंदी से अलग किया जाता है तो ग्राम वासियों द्वारा हरियाली बढ़ाने के लिए किए गए सराहनीय कृत्य को नुकसान हो सकता है।

12. आयोग ने उप खंड अधिकारी से यह जानना चाहा कि क्या चारागाह और गै. मु. किस्म की भूमि किसी भी जन समुदाय या व्यक्ति द्वारा तारबंदी करना या उस पर किसी तरह का बगीचा निर्माण किया जाना नियमानुकूल है? इस पर उप खंड

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अधिकारी ने आयोग बताया कि ऐसी जमीन पर अतिक्रमण, तारबंदी या किसी प्रकार का बगीचा निर्माण करना नियम विरुद्ध है। किन्तु गाँव वालों द्वारा हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह कार्य किया गया है जो सराहनीय है। इस विषय मे आयोग ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम के विषय मे जानकारी मांगी। उप खंड अधिकारी ने आयोग को पत्र द्वारा सूचित करने के लिए समय मांगा।

13. जिला कलेक्टर, झुंझूनु द्वारा पत्रांक प.12(3)(59)राज./2017/69 दिनांक 02.04.2018 द्वारा आयोग को इस संबंध मे जानकारी दी गई। पत्र मे उल्लेख किया गया कि ग्राम बिरोल की भूमि ख.न. 443 रकबा 54.32 है. किस्म गै. मु. चारागाह भूमि है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 93 के अनुसार चारागाह भूमि का नियंत्रण ग्राम पंचायत मे निहित है। राजस्थान राज पंचायत अधिनियम के नियम 170 के तहत चारागाह मे उपर्युक्त किस्म की घास, झाड़ियों, पौधों के विकास मे सभी कदम उठाएँ। इस प्रयोजन के लिए पंचायत प्रत्येक ग्राम की चारागाह भूमि पर नियंत्रण 5 सदस्यों की एक समिति को देगी, जिसकी अध्यक्षता संबन्धित ग्राम का वार्ड पाँच करेगा, जिसके 4 सदस्य ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित होंगे। पौधों के शब्द मे पेड़ भी कवर होता है। नियम 170 के तहत चारागाह का विकास पंचायत द्वारा किया जा सकता है।

14. इस प्रकरण पर दोनों पक्षों को सुनने तथा जिला कलेक्टर, झुंझूनु के पत्र द्वारा सूचित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियमों के आलोक मे आयोग यह अनुशंसा करता है कि:-

(i) आयोग यह जानना चाहता है कि यदि ग्राम पंचायत के द्वारा गठित समिति इसकी देखभाल के लिए उत्तरदायी है तो अब तक समिति का गठन क्यों नही किया गया?

(ii) ग्राम पंचायत की समिति के गठन के बिना इस तरह की तारबंदी या अतिक्रमण की गई तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से क्यो नही लिया? अभ्यावेदक द्वारा लगातार इस प्रकरण मे प्रशासन से सहायता का निवेदन किया गया किन्तु प्रशासन द्वारा इस मामले मे गंभीरता का अभाव प्रतीत होता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(iii) जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले तथा भूमि की किस्म को देखते हुये नियम के तहत अतिक्रमण, या तारबंदी हटाये। वृक्षों की देखभाल की कोई अन्य व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित करायी जाय। इस संबंध मे जिला प्रशासन द्वारा कृत कार्यवाही से आयोग को 30 दिन के अंदर अवगत करायें।

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- SRM/16/2017/STGRJ/DELAAL/RU-II)

श्री सुल्तान राम मीणा, के द्वारा लगाए वृक्ष और चबूतरे पर अतिक्रमण और तारबंदी के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22.03.2018 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री पी टी जेम्सकुट्टी, उप सचिव
3. श्री एस. पी. मीणा, सहायक निदेशक
4. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
5. श्री आर के शर्मा, परामर्शक

राजस्थान सरकार के अधिकारी

1. श्री दुर्गा प्रसाद मीणा, उप खंड अधिकारी, नवलगढ़
2. श्री प्रभाती लाल, उप पुलिस अधीक्षक, नवलगढ़

अभ्यावेदक

1. श्री रामचन्द्र मीणा